संख्या-250 /2023/2188/002-23-9-2023-23-9002-002-89-2023

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 **लखनऊ :दिनांक 06 अक्टूबर, 2023**

विषय -वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत सम्पर्क मार्ग के 08 चालू कार्य पर धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रों(निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार पं0 दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 08 चालू कार्य हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में तालिका के स्तम्भ-11 के अनुसार रू0 1,88,23,000 (रूपये एक करोड़ अठ्ठासी लाख तेइस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या व दिनांक	स्वीकृत लागत /प्राविधिक लागत/गठित अनुबन्ध की लागत	बचत की धनराशि	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6340/CE-HQ1/PDDUY/ADY/2023-24 Dt. 26-09-2023	नि0ख0-3 सुलतानपुर	जमालपुर सम्पर्क मार्ग	38/2023/206/23-9-23/001-23-9002-002-7-2023 दिनांक 23-2-2023	48.85 48.85 20.16	6.27	42.58	6.03	36.55	36.55
2	6339/CE-HQ1/PDDUY/PRJ/2023-24 Dt. 26-09-2023	नि0ख0-1 प्रतापगढ	चोवा का पुरवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	38/2023/206/23-9-23/001-23-9002-002-7-2023 दिनांक 23-02-2023	38.07 38.07 27.19	0.43	37.64	2.89	34.75	34.75
3	6386/CE-HQ1/PDDUY/GKP/2023-24 Dt. 27-09-2023	प्रा0ख0 देवरिया	वि0ख0 भाटपार रानी अन्तर्गत कुम्हाचक सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य	46/2021/आ0-145/23-9-2020-08डी0डी0/2020-दिनांक-25-02-2021	25.88 25.88 16.27	4.12	21.76	16.56	5.20	5.20
4	6386/CE-HQ1/PDDUY/GKP/2023-24 Dt. 27-09-2023	प्रा0ख0 देवरिया	वि0ख0- भाटपार रानी अन्तर्गत भटवलिया गोसाई सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	46/2021/आ0-145/23-9-2020-08 डी0डी0/2020-दिनांक-25-02-2021	35.17 35.17 20.17	7.24	27.93	22.51	5.42	5.42

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या व दिनांक	स्वीकृत लागत /प्राविधिक लागत/गठित अनुबन्ध की लागत	बचत की धनराशि	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	6343/CE-HQ1/PDDUY/MIR/ 2023-24 Dt. 26-09-2023	प्रा0ख0 सोनभद्र	ग्राम परसौना से नवटोलवा लाली सम्पर्क मार्ग पर पुलिया निर्माण।	38/2023/ 206/23-9-23/001-23-9002-002-7-2023 दिनांक 23-02-2023	4.13 4.13 3.13	0.06	4.07	0.31	3.76	3.76
6	6341/CE-HQ1/PDDUY/VNS/ 2023-24 Dt. 26-09-2023	प्रा0ख0 जौनपुर	सर्वेमऊ टिकर सम्पर्क मार्ग।	38/2023/ 206/23-9-23/001-23-9002-002-7-2023 दिनांक 23-02-2023	27.54 27.54 19.53	0.02	27.52	2.30	25.22	25.22
7	6341/CE-HQ1/PDDUY/VNS/ 2023-24 Dt. 26-09-2023	प्रा0ख0 जौनपुर	भैसहा रामपुर सम्पर्क मार्ग	38/2023/ 206/23-9-23/001-23-9002-002-7-2023 दिनांक 23-02-2023	38.66 38.66 27.58	0.02	38.64	3.24	35.40	35.40
8	6341/CE-HQ1/PDDUY/VNS/ 2023-24 Dt. 26-09-2023	प्रा0ख0 जौनपुर	छितौना हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग	38/2023/ 206/23-9-23/001-23-9002-002-7-2023 दिनांक 23-02-2023	54.85 54.85 29.86	9.12	45.73	3.80	41.93	41.93
			योग							188.23

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इस उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मार्गों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(3) स्तम्भ -5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(6) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्धिरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **1,88,23,000** (रूपये एक करोड़ अठ्ठासी लाख तेइस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक **5054043379600** पं दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुडे ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोडने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शिव कुमार
अनु सचिव।

संख्या-250/2023/2188/002-23-9-2023-23-9002-002-89-2023-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, प्रथम(निर्माण) उ0प्र0 प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य अभियंता(मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
शिव कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।